भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1158

06 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

औषधीय पौधों की खेती

1158. श्री सनातन पांडेय:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश से उक्त अवधि के दौरान निर्यात किए गए औषधीय पौधों की मात्रा कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा देश में आयुर्वेदिक औषधियों और जड़ी-बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधीय पौधों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यान्वित केंद्र प्रायोजित योजनाओं और उन योजनाओं के अंतर्गत व्यय की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना - बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन पूरे देश में फल, सब्जियां, जड़ और कंद फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित और औषधीय पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस को कवर करते हुए कर रहा है।

एमआईडीएच योजना के तहत, अल्प अवधि के औषधीय पौधों अर्थात गैर-बारहमासी प्रकृति और गैर-वृक्ष प्रजातियों के क्षेत्र विस्तार के लिए सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान, चिन्हित औषधीय फसलों के क्षेत्र विस्तार के लिए विभिन्न राज्यों को 548.52 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। सहायता के पैटर्न के साथ लागत मानदंडों का विवरण **संलग्नक-I** पर दिया गया है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) अपने क्षेत्रीय सह-सुविधा केंद्रों (आरसीएफसी) के माध्यम से देश में उत्पादकों / किसानों को गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम) वितरित करके औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों की खेती को प्रोत्साहित करता है। औषधीय पौधों के क्यूपीएम के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आरसीएफसी को स्वीकृत वित्तीय सहायता का विवरण **संलग्नक-II** पर दिया गया है।

(ख): औषधीय पौधों के निर्यात के लिए डेटा एनएमपीबी में नहीं रखा जाता है। हालांकि, एचएस-कोड 1211 (सगंध/औषध/कीटनाशी अथवा समान प्रयोजनों के लिए कटे/कुचले/बिना कटे/बिना कुचले ताजे/सूखे/ठंडे/जमे हुए बीजों और फलों के साथ पादप एवं पादपों के हिस्से) के अध्याय 12 के तहत दर्ज औषधीय पौधों के व्यापार का मूल्य नीचे दिया गया है:

वर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
एक्सपोर्ट (करोड़ में)	3,499.53	4,030.64	4,508.54
ग्रोथ (%)	10.91	15.18	11.86

(स्त्रोत :https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/commodity_wise_export)

इसके अलावा, शेलैक और वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफएक्सिल) ने उक्त अवधि के दौरान शीर्ष 15 निर्यात गंतव्य देशों को देश से निर्यात किए गए औषधीय पौधों की मात्रा साझा की है। विवरण **संलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ग): आयुष मंत्रालय ने 16.03.2021 को स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा अनुमोदित एक केंद्रीय क्षेत्र योजना आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) लागू की है। इस योजना के लिए कुल बजट आवंटन पांच वर्षों के लिए 122.00 करोड़ रुपये है। योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं;

i. आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत पारंपरिक दवाओं और स्वास्थ्य संवर्धन उत्पादों में भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए।
ii. आयुष दवाओं और सामग्रियों के मानकीकरण, गुणवत्ता निर्माण और विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और तकनीकी उन्नयन और संस्थागत गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए।
iii. आयुष दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों के प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा निगरानी और निगरानी के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर नियामक ढांचे को मजबूत करना।
iv. आयुष दवाओं और सामग्रियों के मानकों और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए सहक्रियाओं, सहयोग और अभिसरण दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करने के लिए।

विस्तृत दिशानिर्देश https://ayush.gov.in/images/Schemes/aoushdhi.pdf पर उपलब्ध हैं।

(घ): वर्तमान में, आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) में औषधीय पौधों की खेती के लिए कोई योजना नहीं है। हालांकि, अतीत में, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने पूरे देश में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत औषधीय पौधों के घटक को लागू किया था। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की गई थी:

i. कृषक की भूमि पर प्राथमिकता वाले औषधीय पौधों की खेती।
ii. गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति के लिए पश्चगामी संबंधों के साथ नर्सरियों की स्थापना।
iii. फॉरवर्डिंग लिंक के साथ फसल कटाई के बाद प्रबंधन।
iv. प्राथमिक प्रसंस्करण, विपणन बुनियादी ढांचे आदि।

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के तहत औषधीय पौधों के घटक के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों को जारी किए गए फंड का विवरण **संलग्नक-IV** पर दिया गया है।

*****

संलग्नक -I

घटक का नाम	**लागत मानदंड**	**सहायता का स्वरूप**
औषधीय पौधे (मुलेठी, शतावरी, कलिहारी, श्वेता मुसली, गुग्गल, मंजिष्ठा, कुटकी, अतीस, जटामांसी, अश्वगंधा, ब्राह्मी, तुलसी, विदारिकंद, पिप्पली, चिरायता, पुष्करमूल)	1.5 लाख रुपये/हेक्टेयर	एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन / एकीकृत कीट प्रबंधन आदि के लिए रोपण सामग्री और सामग्री की लागत पर व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य क्षेत्रों में **2** हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए **40%** की सहायता **60:40** की **2** किस्तों में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों**,** अनुसूचित क्षेत्रों**,** टीएसपी (जनजातीय उप-योजना) क्षेत्रों**,** जीवंत गांवों**,** अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों के मामले में**, 2** हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए सहायता **50%** की दर से होगी।

संलग्नक-II

क्रं.सं	**आरसीएफसी का नाम**	**वित्तीय सहायता (रु. लाख में)**		
		2022-23	**2023-24**	**2024-25**
1	आरसीएफसी (एनआर-I)	30.00	30.00	30.00
2	आरसीएफसी (एनआर-II)	30.00	30.00	30.00
3	आरसीएफसी (एसआर)	30.00	30.00	30.00
4	आरसीएफसी (ईआर)	30.00	30.00	30.00
5	आरसीएफसी (डब्ल्यूआर)	30.00	-	30.00
6	आरसीएफसी (एनईआर)	30.00	-	30.00
7	आरसीएफसी (सीआर-)	30.00	-	-
	कुल	**210.00**	**120.00**	**180.00**

संलग्नक-III

शीर्ष 15 निर्यात गंतव्य

क्रं.सं	**पैनल: पौधे और पौधों के हिस्से (जड़ी-बूटियाँ)**	**वित्तीय वर्ष 2022-2023**	**वित्तीय वर्ष 2023-2024**	**वित्तीय वर्ष 2023-2024**
	देश	**मात्रा किलो में**		
1	यूएसए	27984240	23739029	32370175
2	जर्मनी	12617380	10892809	14051229
3	इटली	2955810	3404815	5861209
4	चीन पीआरपी	15899180	11685728	11214061
5	यूके	2343860	1682309	2040817
6	संयुक्त अरब अमीरात	5508210	3849070	5588868
7	बांग्लादेश पीआर	12431150	8921605	12976179
8	फ्रांस	1427510	972237	2148119
9	नीदरलैंड	3888850	4618805	4181273
10	कनाडा	1309140	2272295	3006475
11	रूस	903950	958808	2039942
12	मेक्सिको	2716050	1704600	2143569
13	कोरिया आरपी	1448210	1307412	1256046
14	ऑस्ट्रेलिया	1126760	1106270	1227167
15	जापान	1305340	1805688	1912037
कुल निर्यात करने वाले शीर्ष 15 देश		**93865640**	**78921480**	**102017166**
कुल योग		**129856760**	**113287312**	**140469881**

संलग्नक-IV

राष्ट्रीय आयुष मिशन- केंद्रीय प्रायोजित योजना के औषधीय पौधों के घटक के तहत औषधीय पौधों की खेती से संबंधित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक जारी की गई धनराशि

(रु. लाख में)

क्र.सं	**राज्य का नाम**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
		जारी की गई निधि					
1.	आंध्र प्रदेश	133.78	457.16	211.87	128.59	314.91	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	42.78	61.11	36.86	46.01	26.78
3.	असम	-	120.24	393.25	189.12	-	-
4.	बिहार	-	-	-	-	287.2	-
5.	छत्तीसगढ़	-	152.63	178.21	107.86	-	-
6.	गुजरात	168.42	212.19	158.70	308.71	-	-
7.	गोवा	-	14.47	26.59	22.94	38.74	-
8.	हरियाणा	51.68	69.19	-	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	61.98	170.07	75.54	63.75	128.94	-
10.	जम्मू-कश्मीर	54.89	55.17	80.25	49.54	106.04	22.52
11.	कर्नाटक	137.2	203.33	219.34	148.1	157.4	220.97
12.	केरल	126.52	168.68	259.66	162.55	-	221.77
13.	मध्य प्रदेश	306.91	496.38	450.28	334.46	516.87	230.17
14.	महाराष्ट्र	205.88	-	355.01	-	409.11	-
15.	मणिपुर	60.8	70.88	85.50	79.08	40.83	-
16.	मेघालय	-	45.02	91.48	-	45.03	-
17.	मिजोरम	14.38	44.32	97.51	62.14	25.2	14.65
18.	नागालैंड	60.41	41.38	100.89	63.2	-	33.97
19.	ओडिशा	-	117.55	-	161.31	-	-
20.	पंजाब	-	129.66	-	61.22	148.15	-
21.	पुडुचेरी	-	4.96	-	13.84	6.78	-
22.	राजस्थान	113.53	226.06	747.85	272.38	521.6	-
23.	सिक्किम	30.73	31.71	24.98	-	-	18.99
24.	तमिलनाडु	144.22	252.71	228.28	173.09	305.99	-
25.	तेलंगाना	111.32	252.09	118.29	71.87	177.9	-
26.	त्रिपुरा	36.06	-	-	47.88	-	-
27.	उत्तर प्रदेश	720.01	528.17	249.18	912.04	-	209.82
28.	उत्तराखंड	60.47	195.37	130.15	75.67	182.1	-
29.	पश्चिमी बंगाल	180.63	184.94	201.98	194.7	372.73	-
	कुल	**2779.82**	**4287.11**	**4545.9**	**3740.9**	**3831.53**	**999.64**